

83/2024

<p>क्रमांक दिनांक</p>	<p>हुसूम या कार्यवाही मय इतिशायतस जग अन्तर्गत नाम उदधलाल</p>	<p>पत्रावली या तारीख अनुक्रम की हुसूम हुसूम की तारीख में जारी हुए</p>
<p>11/7/25</p>	<p>पत्रावली पेशा हुई। वादी आफि उष। वादी अनुपस्थित। वादी उष उतिवदिगा की तलबी हेतु समान तलबाने पेशा नहीं किये गये। वादी की उतिवदिगा की तलबी हेतु समान तलबाने पेशा करने के लिये प्रयत्न अवसर दिये जा चुके हैं। वादी द्वारा उष्टुत वाद अन्तर्गत द्वारा 53, 188 शक-आज काबतकमी अधीनियम की आदेवा उ नियम 5 वा. निवासी में नालासप अदेवी की तलबा नहीं किये जाने के कारण खारिज किया जाया है। निम्नलिखित सबे इपत्ताम तुनाता वाली रिडी प्रचिवासी हो। पत्रावली फासत शुमार होकर तारीख तलब हो तथा नम्बर से कम लो।</p>	<p>3/5/25 11/7/25 सहायक कलक्टर भीलवाड़ा</p>

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. सत्यनारायण शर्मा पुत्र दामोदर शर्मा जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी शीतला माता, चाकसू, जयपुर

—वादी

बनाम

1. उदय लाल पुत्र गजानन्द कुमावत आयु वयस्क निवासी गुरला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. किशन लाल पुत्र गजानन्द कुमावत आयु वयस्क निवासी गुरला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. गीता पुत्री गजानन्द कुमावत आयु वयस्क निवासी गुरला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. सीताराम गाडरी पुत्र हरलाल गाडरी आयु वयस्क निवासी गाडरी मोहल्ला बिलियाखुर्द तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. अनिका नरुका पुत्री गजेन्द्र सिंह नरुका जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी कुवाड़ा रोड़ भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज0)
7. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय भीलवाड़ा
8. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय कारोई जिला भीलवाड़ा

— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-18 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 83/2024 राजस्व वाद

वादी अनुपस्थित एवं वादी अधिवक्ता श्री उदय सिंह रावणा उपस्थित — इस वाद में आज तारीख 01.07.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को आदेश 9 नियम 5 जाब्ता दीवानी में न्यायालय आदेशों की पालना नहीं किये जाने के कारण खारिज किया जाता है।


(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा